ई–मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. / विस्तार / 2018–19 / 4015 लखनऊः दिनांक 22/5/2018

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश सख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 एवं शासनादेश संख्या–1858/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 सपठित शासनादेश संख्या–1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/ 2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन विस्तार किया जाता है।**

1– पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा विस्तार के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती / पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– जो चिकित्सा अधिकारी आदेश निर्गत तिथि से अनवरत सेवा प्रदान कर रहे है, उनका उसी के अनुसार वेतन आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, अथवा जो चिकित्साल अधिकारी आदेश निर्गत तिथि से विस्तार आदेश समाप्त होने के उपरान्त सेवायें प्रदान नहीं कर रहे हैं, उन्हें पुनश्च आदेश निर्गत तिथि के उपरान्त जिस तिथि को योगदान आख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी दिनांक से वेतन आहरण की कार्यवाही सम्पादित किया जाय।

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय / जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 कंचनलता श्रीवास्तव – 4575	डा0 शशांक श्रीवास्तव	11.11.1955	30.11.2015	डी0जी0ओ0	ए.एच.एम.एण्ड डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर
2.	डा0 कृष्ण गोपाल सांवलिया–5729	स्व0 जगननाथ सांवलिया	15.11.1954	30.11.2014	डी0सी0पी0	जिला चिकित्सालय (पुरूष), मुजफ्फरनगर
3.	डा0 अरूण कुमार राय – 6264	स्व0 बलराम राय	06.01.1955	31.01.2015	डी0टी0सी0डी0	जिला चिकित्सालय मऊ
4.	डा0 वसीगुद्दीन जमाली–6028	एस जमाली	15.10.1954	31.10.2014	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	जिला चिकित्सालय मऊ
5.	डा0 प्रमोद कुमार जैन – 6834	स्व0 हुकुम चन्द जैन	01.09.1954	31.08.2014	डी0ओ0एम0एस0	यू0एच0एम0 जिला पुरूष चिकित्सालय, कानपुर नगर
6.	डा0 गंगा प्रसाद चौधरी –	स्व0 भिखारी	19.07.1955	31.07.2015	डी0सी0एच0	जिला संयुक्त चिकित्सालय, औरैया
7.	डा0 ज्ञान चन्द्र लाल – 4714	स्व0 राम लखन लाल	30.01.1954	31.01.2014	डी0सी0पी0	डा0 एस0पी0एम0 (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ
8.	डा0 देवी चन्द्रा –5707	स्व0 रामस्वरूप	13.09.1954	30.09.2014	डी0ए0	जिला चिकित्सालय आगरा
9.	डा0 विनोद कुमार –6193	स्व0 हरि कुमार	19.06.1955	30.06.2015	डी0वी0डी0	जिला चिकित्सालय मथुरा
10.	डा0 मंजू राठौर – 6408	डा0 देवेन्द्र सिंह राठौर	29.07.1956	31.07.2016	एम0डी0 आब्स एण्ड ग्यानी	लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, कानपर रोड, लखनऊ
11.	डा0 प्रदीप कुमार सिंह – 4442	स्व0 कृष्ण कुमार सिंह	05.02.1954	28.02.2014	डी0टी0सी0डी0	यू0एच0एम0 जिला पुरूष चिकित्सालय, कानपुर नगर
12.	डा0 ओम प्रकाश द्विवेदी – 5836	स्व0 त्रियुगी नारायण द्विवेदी	01.09.1956	31.08.2016	डी0एल0ओ0	मोती लाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय, इलाहाबाद

13.	डा0 राकेश कुमार अग्रवाल – 6869	डा0 सत्य नरायन अग्रवाल	10.12.1954	31.12.2014	डी0एम0आर0डी0	ए0एच0एम0 डफरिन चिकित्सालय, कानपुर नगर
14.	डा0 किशन लाल वर्मा–5644	स्व0 काली चरन वर्मा	23.05.1955	31.05.2015	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय सीतापुर
15.	डा0 रणधीर सिंह – 6006	स्व0 रघुनाथ प्रसाद	20.08.1955	31.08.2015	डी0सी0पी0	जिला चिकित्सालय फैजाबाद
16.	डा0 सुरेन्द्र सिंह – 7503	श्री भूप सिंह	07.09.1955	30.09.2015	डी0वी0डी0	जिला चिकित्सालय मथुरा
17.	डा0 आलोक कुमार मिश्रा – 5470	स्व0 के0के0 मिश्रा	23.01.1955	31.01.2015	डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय आगरा
18.	डा0 नवल किशोर – 11717	श्री मुरलीधर सिंह	26.01.1955	31.01.2015	डी0ए0	पं0क0त्रि0 जिला संयुक्त चिकित्सालय, चंदौली
19.	डा0 अमरेन्द्र बहादुर सिंह – 5407	स्व0 पुतान सिंह	02.08.1955	31.08.2015	डी0ए0	जिला चिकित्सालय खीरी
20.	डा0 नरेन्द्र प्रताप सिंह – 4506	स्व0 बृज राज सिंह	02.02.1955	28.02.2015	डी0टी0सी0डी0	जिला चिकित्सालय बाराबंकी
21.	डा0 ज्ञानेन्द्र नीखरा – 6664	स्व0 गोपाल शरण नीखरा	11.04.1954	30.04.2014	डी0एम0आर0डी0	जिला चिकित्सालय झांसी
22.	डा0 भँवर सिंह – 7504	श्री श्रीचन्द्र	02.11.1955	30.11.2015	डी0सी0पी0	एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षयरोग्याश्रम, फिरोजाबाद
23.	डा0 बिमल कुमार सिंह – 6191	स्व0 राजा राम सिंह	04.02.1957	28.02.2017	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	यू0एच0एम0 जिला पुरूष चिकित्सालय, कानपुर नगर
24.	डा0 देवेन्द्र कुमार सिंह – 6806	श्री अवधेश सिंह	31.12.1955	31.12.2015	डी0सी0एच0	जिला संयुक्त चिकित्सालय, महराजगंज
25.	डा0 अभिषेक वर्मा – 5419	स्व0 ब्रहम प्रसाद वर्मा	21.07.1956	31.07.2016	एम0डी0 पिडियाटिक्स डी0सी0एच0	डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ
26.	डा0 ध्रुव नाथ – 6870	स्व0 शंकर	15.01.1955	31.01.2015	डी0 आर्थ	जिला चिकित्सालय खीरी
27.	डा0 राजेश्वर प्रसाद गुप्ता–5592	स्व0 राम अधार गुप्ता	01.07.1955	30.06.2015	डी0 आर्थ	जिला चिकित्सालय बलिया
28.	डा0 रमेश चन्द्रा – 5583	स्व0 श्याम नारायण	01.03.1957	28.02.2017	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय झांसी
29.	डा0 बिरेश्वर नारायण –6420	स्व0 लक्ष्मी नारायण	23.10.1955	31.01.2015	एम0डी0 (चर्म एवं गुप्त रोग)	जिला चिकित्सालय बलिया
30.	डा0 आनन्द बिहारी प्रसाद – 9606	स्व0 बाल कृष्णा प्रसाद	04.09.1954	30.09.2014	एम0डी0 टी0बी0 एण्ड चेस्ट	जिला संयुक्त चिकित्सालय सोनभद्र
31.	डा0 बलराम सिंह – 4546	स्व0 सर्वजीत राम	01.07.1955	30.05.2015	डी0सी0एच0	जिला संयुक्त चिकित्सालय सोनभद्र
32.	डा0 भीम सिंह – 8174	स्व0 नन्हकू सिंह	04.10.1956	31.10.2016	एम0एस0 आर्थो0	जिला चिकित्सालय मऊ

33.	डा0 शंकर दयाल गौतम–6177	स्व कुंवर लाल	10.09.1954	30.09.2014	डी0एम0आर0डी0	जिला महिला चिकित्सालय मऊ
34.	डा0 सुशील कुमार राय – 4451	स्व0 कृष्ण नन्द राय	04.10.1955	31.10.2015	डी0एम0आर0डी0	बलरामपुर चिकित्साल लखनऊ
35.	डा0 सूर्य कुमार सिंह – 5279	स्व0 राज पति सिंह	20.04.1954	30.04.2014	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	बलरामपुर चिकित्साल लखनऊ
36.	डा0 हरी राम वर्मा – 6666	स्व0 राम लखन	01.01.1956	31.12.2015	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	जिला चिकित्साल बस्ती
37.	डा0 ईश्वर शरण – 5421	स्व0 पंचम लाल	29.11.1956	30.11.2016	एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	बलरामपुर चिकित्साल लखनऊ
38.	डा0 ठाकुरदास गुप्ता – 6811	स्व0 एम0एल0 गुप्ता	01.02.1957	31.01.2017	डी0 आर्थ	जिला चिकित्सालय, उरई (जालौन)
39.	डा0 राम सुख – 6091	स्व0 श्री बृज लाला	04.03.1954	31.03.2014	डी0टी0सी0डी0	उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय उन्नाव
40.	डा0 शरद कुमार सिंह – 5413	श्री एस0 बी0 सिंह	12.03.1956	31.03.2016	डी0सी0एच0	उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय उन्नाव
41.	डा0 राकेश कुमार मिश्र – 6192	स्व0 जगपाल मिश्रा	05.02.1956	29.02.2016	डी0सी0पी0	उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय उन्नाव
42.	डा0 प्रदीप श्रीवास्तव – 5405	स्व0 कृष्ण सरन श्रीवास्तव	07.07.1955	31.07.2015	डी0टी0सी0डी0	उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय उन्नाव
43.	डा0 सुषमा गुप्ता – 6325	डा0 करूण कुमार	04.01.1956	31.01.2016	डी0जी0ओ0	जिला महिला चिकित्सालय फैजाबाद
44.	डा0 श्रीराम सोनी – 5593	स्व0 डी0पी0 सोनी	01.07.1956	30.06.2016	एम0एस0 (नेत्र)	जिला चिकित्सालय झांसी
45.	डा0 उदयवीर सिंह – 5008	श्री हरी किशन	15.01.1957	31.01.2017	डी0टी0सी0डी0	जिला क्षय रोग चिकित्सालय, बुलन्दशहर
46.	डा0 अनुराग कुमार राजवंशी – 4371	श्री सत्य प्रकाश राजवंशी	27.11.1955	30.11.2015	पैथोलाजी	जिला मलखान सिंह चिकित्सालय अलीगढ़
47.	डा0 राम नाथ सिंह – 5000	श्री यादु नाथ सिंह	03.07.1955	31.07.2015	डी0 आर्थ	डा0 राम मनोहर लोहिया पुरूष चिकित्सालय फर्रुखाबाद
48.	डा0 श्रीकृष्ण –7488	श्री निध्भाराम	11.11.1955	30.11.2015	डी0सी0एच0	महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली
49.	डा0 मुरारी लाल शर्मा–7065	स्व0 शिव प्रसाद शर्मा	05.03.1957	31.03.2017	डी0टी0सी0डी0	महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली
50.	डा0 मुरारी प्रसाद वर्मा – 5481	स्व0 राम प्रसाद वर्मा	20.07.1955	31.07.2015	डी0 आर्थ	मोती लाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय, इलाहाबाद

For Selected Candidate:-

a. It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

b. It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

c. The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(डा0 पद्‌माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या–प्रशि.प्रको./विस्तार/2018–19/ तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– मिशन निदेशक, एन0आर0एम0एम0, लखनऊ।

4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, लखनऊ।

6– सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला (पुरूष/महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।

7– सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8– चिकित्सा अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश शासन।

9– संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर, प्रत्येक दशा में विस्तार पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के **(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ)** में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।

10– गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

ई–मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको./पुनर्योजन/2018–19/4048 लखनऊः दिनांक 22/5/ 2018

–:: आदेश ::–

विस्तार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या–1858/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–2996/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतदद्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

1– पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

Batina

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच / न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती / पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा0 सदानन्द	5425	21.12.1956	31.12.2016	एम0एस0 जनरल सर्जरी	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
2.	डा0 कुंवरपाल सिंह	7428	05.01.1954	31.01.2014	डी0ए0	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी हापुड़
3.	डा0 श्याम सुन्दर छावड़ा	6849	05.01.1957	30.01.2017	डी0 आर्थ0	जिला संयुक्त चिकित्सालय मथुरा
4.	डा0 गिरिजा शंकर त्रिपाठी	5371	27.02.1957	28.02.2017	एम0एस0 आर्थ0	जिला चिकित्सालय पीलीभीत
5.	डा0 रूद्र दत्त द्विवेदी	5287	10.01.1957	31.01.2017	एम0डी0 मेडिसिन	जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़

For Selected Candidate:-

a. It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

b. It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

c. The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(डा0 पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या– प्रशि.प्रको. / पुनर्योजन / 2017--18 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– मिशन निदेशक, एन0आर0एम0एम0, लखनऊ।

4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, लखनऊ।

6– सम्बंधित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला (पुरूष / महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।

7– सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8– चिकित्सा अनुभाग–2 / 3, उत्तर प्रदेश शासन।

9– संबंधित चिकित्सक / अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।

10–गार्ड फाइल।

Bakre

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)